चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

पत्रांकः शारीरिक शिक्षा/
दिनांकः 22.07.2019

सेवा में,

निदेशक/सचिव/प्राचार्य
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त बी0पी0एड0 तथा एम0पी0एड0
पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थान।

विषयः बी0पी0एड0 तथा एम0पी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों में सत्र 2019–20 मे अध्यापनरत शिक्षक–शिक्षिकाओं के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त बी0पी0एड0 तथा एम0पी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित करने वाले समस्त स्ववितः पोषित संस्थानों में एन.सी.टी.ई. के मानको के अनुरूप समस्त शिक्षकों का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है।

उक्त के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके संस्थान में बी0पी0एड0 तथा एम0पी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु नियुक्त शिक्षकों के सत्यापन के लिए निर्धारित **Proforma for Verification of B.P.Ed and M.P. Ed. Faculty** (प्रति संलग्न) पूर्ण कर समस्त संलग्नको सहित तथा उनके मौलिक प्रति (Orignanl copy) एवं बी0पी0एड0 तथा एम0पी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु अनुमोदित शिक्षकों के साथ **दिनांक 20 तथा 21 अगस्त, 2019** को **पूर्वरान्ह् 11.00** बजे सत्यापन हेतु **शिक्षा विभाग, चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ** में उपस्थित हों। सत्यापन हेतु अनुमोदित शिक्षकों को अपने सभी शैक्षणिक अभिलेख, अनुभव प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, सैलरी अकाउन्ट आदि मूल रूप में लाना अनिवार्य है तथा इस हेतु कोई यात्रा भत्ता वि0 वि0 द्वारा देय नही होगा।

आपको यह भी स्मरण कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा केवल अनुमोदित एवं संस्थान में कार्यरत शिक्षकों का ही सत्यापन कराया जायेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये, जिन शिक्षकों का चयन आपने संस्थान में किया गया है या आपके संस्थान में विगत वर्षो से कार्यरत हैं, उनके शैक्षिक प्रमाण–पत्रों व अनुभव प्रमाण पत्रों की सत्यता की जाँच प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले विश्वविद्यालय/संस्थान/कालिज से अपने स्तर पर अनिवार्य रूप से करा लें। यदि किसी शिक्षक को फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने/पाये जाने अथवा अर्हता पूर्ण न करने के आधार पर अयोग्य पाया जाता है, तो उसका अनुमोदन निरस्त कर विश्वविद्यालय उसके विरूद्व कानूनी कार्यवाही करेगा। ऐसी स्थिति के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

शिक्षकों के सत्यापन के समय जिन संस्थानों मे एन.सी.टी.ई. के मानकों के अनुरूप अर्ह शिक्षकों का अनुमोदन व संख्या पूर्ण नहीं होगी, उन्हें भविष्य में बी0पी0एड0 तथा एम0पी0एड0 पाठ्यक्रम में काउंसलिंग से छात्र आवंटित नही किये जायेंगे और न ही शिक्षकों के सत्यापन हेतु अन्य अवसर प्रदान किया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं संस्थान की होगी एवं विश्वविद्यालय अग्रेत्तर कार्यवाही करेगा।

भवदीय

Vijaiswal 22/7/19

(प्रो0 विजय जायसवाल)
समन्वयक
बी0पी0एड0 तथा एम0पी0एड0
सत्यापन समिति
सत्र 2019–20

संलग्नक : यथोपरि।

प्रतिलिपि :–

1. सचिव कुलपति मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. सचिव कुलसचिव को, सम्बन्धित आदेश के गॉर्ड फाईल हेतु।
3. प्रो0 जे0 एस0 भारद्वाज, संकायाध्यक्ष (शिक्षा) के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उपकुलसचिव (सम्बद्धता) को इस आशय के साथ कि बी0पी0एड0 तथा एम0पी0एड0 शिक्षकों के नियुक्ति या अनुमोदन से सम्बन्धित प्रकरण के यथाशीघ्र निस्तारण हेतु।

Vijaiswal 22/7/19

(प्रो0 विजय जायसवाल)
समन्वयक
बी0पी0एड0 तथा एम0पी0एड0
सत्यापन समिति
सत्र 2019–20

Proforma for Verification of B.P.Ed and M.P.Ed Faculty working in Self-financing Institutions affiliated to Ch. Charan Singh University, Meerut

Name of the Institution with Address:

Name of the Faculty :

Date of Birth :

Father's Name :

Mother's Name :

Mobile No. :

E-mail I.D. :

PAN No. :

ADHAR No. :

Bank Account No. :

Bank's Name & Address :

Residential Address :

Date of University Approval for Faculty:
(Enclose copy of Approval Letter and please note that it will be verified from the University records)

Designation of Faculty :

Qualifications of Faculty :

Faculty serving on the approved post in the institution: From.............to.... ....

Signed and verified photo of faculty

- Please attach signed and verified bank statement with account of salary given to above named faculty last one year.
- Proforma will be accepted only when faculty's Bank account details are furnished.

(Signature of the Faculty)

(Countersign by Chairman/Director/Principal) with Stamp